कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 19/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.01.2026

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

फर्जी लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आज़मगढ़ डॉ0 अनिल कुमार, के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना साइबर

दिनांक **11.04.2025** को शिकायतकर्ता **प्रतीक पुंडकर**, निवासी – गाडगे नगर, अमरावती (महाराष्ट्र) द्वारा **NCRP पोर्टल** पर शिकायत संख्या **31904250060313** दर्ज कराई गई थी। उक्त शिकायत के आधार पर प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के क्रम में थाना साइबर क्राइम पर **मु0अ0सं0- 03/2026**, धारा **318(4), 319(2), 336, 340 बीएनएस एवं 66 डी आईटी एक्ट**, पंजीकृत किया गया।

➡ विवेचना के दौरान निरीक्षक विभा पाण्डेय द्वारा साइबर थाना टीम के साथ तकनीकी विश्लेषण एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, रोजगार योजना एवं अन्य विभिन्न प्रकार के लोन दिलाने के नाम पर स्वयं को फर्जी फाइनेंस डिपार्टमेंट का लोन अधिकारी बताकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से **04 मोबाइल फोन, 05 गैर-राज्य (पंजाब) की फर्जी सिम कार्ड तथा लोन से संबंधित फर्जी कागजात** बरामद किए गए हैं।

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

➡ अभियुक्त द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में *मुद्रा फाइनेंस, मुद्रा रोजगार योजना लोन, पर्सनल लोन, मार्कशीट लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन, महिलाओं के लिए ऑफर ग्रुप लोन तथा लघु उद्योग लोन* के नाम से लुभावने विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते थे, जिनमें प्रत्येक बार अलग-अलग फर्जी मोबाइल नंबर अंकित किए जाते थे।

➡ विज्ञापन देखकर लोन लेने के इच्छुक व्यक्तियों से संपर्क होने पर अभियुक्त द्वारा प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज एवं ऑफिस खर्च के नाम पर धनराशि अपने द्वारा संचालित फर्जी (म्यूल) खातों में मंगवाई जाती थी, जिसे वह अलग-अलग स्थानों पर स्थित जन सेवा केंद्रों से निकाल लेता था।

➡ लोगों का विश्वास जीतने के लिए अभियुक्त द्वारा फर्जी ई-मेल आईडी **financedepartment786@gmail.com** एवं futurefinance@gmail.com बनाई गई थीं, जिनके माध्यम से टारगेट व्यक्तियों को टेक्स्ट मैसेज एवं ई-मेल द्वारा "थैंक यू" संदेश भेजे जाते थे। एक बार जो व्यक्ति इसके जाल में फंस जाता था, उससे विभिन्न चरणों में कार्यवाही के नाम पर लगातार धनराशि ऐंठी जाती थी।

अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)-

➡ विभिन्न समाचार पत्रों में लोन से संबंधित फर्जी विज्ञापन प्रकाशित कराना।

➡ फर्जी ई-मेल आईडी एवं गैर-राज्य की सिम कार्ड का प्रयोग करना।

➡ अलग-अलग फर्जी मोबाइल नंबरों से स्वयं को विभिन्न अधिकारी बताकर बातचीत करना।

➡ प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज व ऑफिस खर्च के नाम पर फर्जी (म्यूल) खातों में धनराशि मंगवाना एवं जन सेवा केंद्रों से नकद निकासी करना।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. **प्रवीन गौड़** पुत्र मुसाफिर गौड़, निवासी – ग्राम गोछरन, थाना बाँसगाँव, जनपद गोरखपुर उम्र – लगभग 28 वर्ष। हाल पता – ग्राम जिबली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

➡ 03 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन

➡ 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन

➡ 05 अदद फर्जी सिम कार्ड (गैर राज्य – पंजाब)

कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम-

- निरीक्षक विभा पाण्डेय – थाना साइबर क्राइम
- हे0 का0 सुखनंदन यादव – थाना साइबर क्राइम
- का0 सभाजीत मौर्य – थाना साइबर क्राइम
- का0 विशाल यादव – थाना साइबर क्राइम
- का0 रामाश्रय यादव – थाना साइबर क्राइम
- का0 कुंज बिहारी कुशवाहा – थाना साइबर क्राइम
- का0 आलोक कुमार सिंह – सर्विलांस

प्रेस नोट, दिनांक 12.01.2026
थाना – साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रिश्तेदार/परिचित बनकर इमरजेंसी का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 03 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आज़मगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम, आज़मगढ़ की टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

➡ दिनांक 11.01.2026 को शिकायतकर्ता **मो0 इसतिखार**, निवासी – बीहटा, पटना (बिहार) द्वारा **NCRP पोर्टल** पर शिकायत संख्या **30501260000013** दर्ज कराई गई थी। जिसके क्रम में प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के क्रम में थाना साइबर क्राइम पर **मु0अ0सं0- 04/2026**, धारा **318(4), 319(2), 111(4) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट**, दिनांक **11.01.2026** पंजीकृत किया गया।

➡ विवेचना के दौरान प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह मय साइबर थाना टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों के भाई एवं मामा, जो कि बाहर रहते हैं, के द्वारा फेसबुक पर विभिन्न व्यक्तियों की **फर्जी फेसबुक आईडी** बनाकर उनके रिश्तेदारों व परिचितों से इमरजेंसी का बहाना बनाकर साइबर फ्रॉड कर अभियुक्तों के विभिन्न बैंक खातों में धनराशि मंगाई जाती थी।

➡ अभियुक्त अपने भाई आग़ाज़ एवं मामा अज़ीज़ुल अहमद के कहने पर **फोन-पे, पेटीएम व गूगल पे के स्कैनर** आदी माध्याम से अपने बैंक खातों में साइबर फ्राड के पैसे मगाये जाते थे।

➡ अभियुक्तों द्वारा साइबर फ्रॉड के लिए **विभिन्न बैंको** में खाते खुलवाए गए थे। धनराशि खाते में आते ही अभियुक्त एटीएम के माध्यम से पूरी रकम निकाल कर पैसे आपस में बांट लेते थे।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)-

➡ फेसबुक पर किसी व्यक्ति की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई जाती थी।

➡ फर्जी आईडी के माध्यम से उसके परिचित या रिश्तेदार बनकर संपर्क किया जाता था।

➡ इमरजेंसी का बहाना बनाकर धनराशि की मांग की जाती थी।

➡ प्राप्त धनराशि विभिन्न बैंकों के खातों में मंगाकर एटीएम के माध्यम से निकाली जाती थी।

➡ अभियुक्तों का भाई व मामा बाहर रहकर फर्जी आईडी संचालित करते थे तथा गिरफ्तार अभियुक्त धनराशि की निकासी करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. **अरबाज पुत्र जाहिद**, निवासी – ग्राम पेन्डरा गंगापुर, थाना सरायमीर, हाल मुकाम – ग्राम शेरवा ईदगाह, थाना सरायमीर, जनपद आज़मगढ़ उम्र लगभग 26 वर्ष।
2. **मो0 आयाज पुत्र जाहिद**, निवासी – ग्राम पेन्डरा गंगापुर, थाना सरायमीर, हाल मुकाम – ग्राम शेरवा ईदगाह, थाना सरायमीर, जनपद आज़मगढ़, उम्र लगभग 26 वर्ष।

बरामदगी-

➡ **03 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन**

कार्रवाई में सम्मिलित पुलिस टीम-

- निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह (प्र0नि0, थाना साइबर क्राइम) जनपद आजमगढ़।
- उप निरीक्षक योगेन्द्र प्रसाद (थाना साइबर क्राइम) जनपद आजमगढ़।
- का0 एजाज़ खान (थाना साइबर क्राइम) जनपद आजमगढ़।
- का0 महिपाल यादव (थाना साइबर क्राइम) जनपद आजमगढ़।
- का0 विकास यादव (थाना साइबर क्राइम) जनपद आजमगढ़।
- का0 संजय कुमार (थाना साइबर क्राइम) जनपद आजमगढ़।
- का0 मुकेश कुमार (थाना साइबर क्राइम) जनपद आजमगढ़।